(54)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(50)नविवि / 3 / 2012पार्ट जयपुर, दिनांकः 03 OCT 2014

सचिव,
नगर विकास न्यास,
पाली / सीकर / बाड़मेर / चित्तौडगढ / सवाईमाधोपुर।

आयुक्त,
नगर परिषद,
पाली / सीकर / बाडमेर / चित्तौडगढ / सवाईमाधोपुर।

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की अधिकारिता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2014 द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 06.02.2014 के पूर्व के प्रकरण जिनकी धारा 90–ए की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जा चुकी है, का निस्तारण नगर परिषद द्वारा किया जावे एवं दिनांक 06.02.2014 के पश्चात् प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण संबंधित नगर विकास न्यास द्वारा किया जावेगा।

परन्तु कतिपय नगर परिषदों द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2014 से पूर्व स्वीकृत योजनाओं की पट्टे दिए जाने हेतु नवीन पत्रावलियां प्राप्त किए जाने की अधिकारिता चाही गई है। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 06.02.2014 के पूर्व के प्रकरण जिनकी धारा 90–ए की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जा चुकी है, का निस्तारण नगर परिषद द्वारा किया जावे का तात्पर्य यही है कि दिनांक 06.02.2014 से पूर्व जिन प्रकरणों में धारा 90–क आदेश संबंधित नगर परिषद द्वारा जारी किये गये हैं उन प्रकरणों में पट्टे दिये जाने संबंधी कार्यवाही संबंधित नगर परिषद द्वारा ही सम्पादित की जावेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु संख्या 10.00 GENERAL PROVISIONS एवं विभागीय आदेश क्रमांक प.3(178)नविवि / 3 / 2012 दिनांक 9.04.2013 (प्रति संलग्न) अनुसार अनुसार डवलपर्स / खातेदार को या उसके Nominees, Successor, Assignees या Transferees के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जगजीत सिंह मोंगा)
उप शासन सचिव–द्वितीय

(125)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री ज्ञानचन्द पारख, माननीय विधायक, 87, आदर्श नगर, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 9.10.2014 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव- प्रथम/तृतीय एवं उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने बाबत्।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वरिष्ठ नगर नियोजक/उप विधि परामर्शी, नविवि एवं अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/10/14

उप शासन सचिव-द्वितीय